न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/20

फोकरिया बालिग आत्मज श्री रामा जाति मीणा निवासी बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
2. कन्हैया लाल आत्मज श्री धन्ना लाल जाति महाजन निवासी कोटा तहसील एवं जिला कोटा ।
3. मंगल्या आत्मज श्री रामा जाति महाजन निवासी बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं अधिकार घोषणा का पेश कर कथन किया कि ग्राम बल्लोप तहसील तालेडा में कुल 07 किता की 19 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी कम 3 के खातेदारी में दर्ज है । वादी के पूर्वज इस आराजी के खातेदार थे । सहखातेदार द्वारा वादी के हक में दो खसरा नम्बर पर रिलीज डीड किया गया है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में होने के पश्चात् वादी ही इस खातेदार है । अन्य आराजी पर खातेदार के रूप से वादी व प्रतिवादी कम 3 काबिज चले आ रहे हैं । वादी जाति से मीणा है इसलिए किसी भी कानून के प्रभाव से वादी के खातेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता और ही अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी दी जा सकती है । नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 में कॉलम संख्या 4 में कन्हैया लाल आत्मज धन्ना लाल कौम महाजन मु0बि0क0 दर्ज है । कन्हैया लाल का नाम का कोई व्यक्ति बल्लोप

में कभी नहीं रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में मु0बि0क0 का इन्द्राज कायम रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है इसलिए वादी मु0बि0क0 के इन्द्राज को निरस्त कराने का कानूनी अधिकार रखता है ।

3. अतः वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में कन्हैया लाल आत्मज धन्ना लाल जाति महाजन कोटा मु0बि0क0 का इन्द्राज विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने संशोधित वाद में खातेदार मगल्या को पक्षकार बनाकर सही तथ्य अंकित किये गये थे जिसका विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने सही नहीं किया । कानून के अनुसार 05 वर्ष से अधिक समय होने पर जमाबन्दी में अंकित मु0बि0क0 का इन्द्राज स्वतः निरस्त माना जाता है इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् दावा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट मंगल्या हैं । जमाबन्दी में उक्त आराजी पर कन्हैया लाल आत्मज श्री धन्ना लाल जाति महाजन निवासी कोटा मु0बि0क0 दर्ज है । इस मु0बि0क0 को विलोपित करने के लिए दावा पेश किया था । 05 वर्ष से अधिक समय होने पर जमबान्दी में अंकित मु0बि0क0 का इन्द्राज स्वतः ही निरस्त माना जाता है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायलय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित क्रिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा दौराने बहस नामान्तरकरण संख्या 695 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें दिनांक 21.04.2010 के निर्णय की अनुपालना में खाता संख्या 42 में मु0बि0क0 का नोट हटाया गया है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अखबार की विज्ञप्ति प्रदर्श– 1 पेश किया गया है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी पचसाला प्रदर्श– 2, 3 व 4 पेश किये हैं । जमाबन्दी संवत्

2062–2065 प्रदर्श– 5 पेश किया गया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा भंवर लाल, गोपाल पिसरान माधो हिस्सा 1/2, फ्रोकरया, मंगल्या पि0 रामा हिस्सा 1/2 राहिन कन्हैया लाल वल्द धन्ना लाल कौम महाजन दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 521 दिनांक 21.05.2007 का नोट अंकित है जिसके अनुसार मृतक भंवर लाल के स्थान पर गोपाल का नाम दर्ज करने की स्वीकृत हुई । नामान्तरकरण संख्या 637 दिनांक 30.05.2009 को नोट अंकित है जिसमें सहमति से बंटवारा किया जाना अंकित है और खातेदार फोकरया व मंगल्या दर्ज-है । नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 2906.2009 से खसरा नम्बर 254 रकबा 5.13, खसरा नम्बर 263 रकबा 2.14 कुल रकबा 8.07 पर रिलीजकर्ता मंगला के स्थान पर रिलीजग्रंहिता फोकरया पि0 रामा कौम मीना खातेदार दर्ज हुई का नोट अंकित है।

10. इसके अलावा बयान फोकरया, बद्री एवं गोपाल कराये गये हैं ।

11. वादी ने वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कम 2 जो कि मु0बि0क0 दर्ज है उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने के लिए दावा पेश किया था । पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 5 के अनुसार वादग्रस्त आराजी उनके और प्रतिवादी कम 3 के खातेदारी की है और मु0 बि0 क0 कन्हैया लाल वल्द धन्नालाल दर्ज हे । प्रतिवादी कम 2 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और इस न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुए हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (2) के अनुसार रहन की अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती और रहन की अवधि यदि अंकित नहीं है तो उसे 05 वर्ष का ही माना जावेगा। इसी धारा में 1970 में किये गये संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूति जनजाति के सदस्यों के द्वारा अपनी आराजी के अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को अन्तरित नहीं किये जा सकते जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है । निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद में रहन समाप्त माना जावेगा । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड से कन्हैया लाल वल्द धन्ना लाल का मु0 बि0 क0 का जो नोट अंकित है उसको हटाया जाना उचित प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 निरस्त किया जाता है । दावा वादी डिक्री किया जाता है ओर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवाद्री कम 2 कन्हैया लाल वल्द धन्ना लाल कौम महाजन का मु0 बि0 क0 का इन्द्राज विलोपित किया जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/20

फोकरिया बालिग आत्मज श्री रामा जाति मीणा निवासी बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
2. कन्हैया लाल आत्मज श्री धन्ना लाल जाति महाजन निचासी कोटा तहसील एवं जिला कोटा
3. मंगल्या आत्मज श्री रामा जाति महाजन निवासी बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 172/दावा/2009

फोकरिया बालिग आत्मज श्री रामा जाति मीणा निवासी बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
2. कन्हैया लाल आत्मज श्री धन्ना लाल जाति महाजन निवासी कोटा तहसील एवं जिला कोटा ।
3. मंगल्या आत्मज श्री रामा जाति महाजन निवासी बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द भण्डारी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2015 निरस्त किया जाता है । दावा वादी डिक्री किया जाता है ओर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 2 कन्हैया लाल वल्द धन्ना लाल कौम महाजन का मु0 बि0 क0 का इन्द्राज विलोपित किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

15/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा